(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 663–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–3–2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण कमांक 61/अ–70/2013–14

.....

वक्सीस सिंह पुत्र सदेव सिंह
निवासी–ग्राम गडोली तहसील नरवर
जिला शिवपुरी, म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1– लक्ष्मीनारायण पुत्र शिवराम
निवासी ग्राम निजामपुर तहसील नरवर
जिला शिवपुरी म0प्र0
2– केदार सिंह पुत्र रतनसिंह
निवासी ग्राम गडोली, तहसील नरवर,
जिला शिवपुरी म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री जी0पी0नायक, अभिभाषक, अनावेदक कं. 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 01/10/ 2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–03–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक लक्ष्मीनारायण द्वारा एक आवेदन संहिता की धारा 250 के अर्न्तगत भूमि पर से अवैध कब्जा हटाने हेतु तहसीलदार नरवर को प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 61/2013–14/अ–70 पंजीबद्ध कर आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। आवेदक ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया एवं अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में कार्यवाही समाप्त करने हेतु संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 23–03–2015 के द्वारा उभय पक्ष को कब्जे के संबंध में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये। तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 23–3–2015 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण प्रचलन योग्य न होने की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। दिनांक 9–12–14 को पटवारी रिपोर्ट पर प्रतिपरीक्षण हेतु आगामी पेशी नियत की गई थी। इस निर्देश एवं आदेश का पालन किये बिना ही एकाएक विवादित आदेश दिनांक 23–3–15 के द्वारा उभय पक्ष को कब्जे के संबंध में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने में भूल की है। अतः निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा दिये गये कारण बताओ सूचना पत्र के पश्चात आवेदक द्वारा विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है और पटवारी द्वारा भी तहसीलदार को कब्जा हटाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, जिसके आधार पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 22–5–2015 को प्रकरण का अंतिम निराकरण कर दिया है। अतः अब निगरानी में कोई बल शेष नहीं रह गया है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक लक्ष्मीनारायण द्वारा प्रस्तुत संहिता की

धारा 250 के आवेदन पर तहसीलदार ने कार्यवाही प्रारंभ की। आवेदक को सूचना पत्र दिया तथा आवेदक ने उसका उत्तर भी प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने पटवारी को स्थल निरीक्षण रिपोर्ट हेतु आदेशित किया। पटवारी रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवेदक अभिभाषक द्वारा आपत्ति भी प्रस्तुत की। तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक को उभय पक्ष की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आदेशित किया। राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें यह बताया गया कि सर्वे नम्बर 222/2/1 रकबा 1.00 में से 0.54 है0 पर बक्शीशसिंह का कब्जा है। राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन पर प्रकरण प्रतिपरीक्षण हेतु नियत किया। प्रतिपरीक्षण के पूर्व ही दिनांक 13–5–15 को आवेदन ने आवेदन दिया कि वर्तमान में उसका कोई कब्जा अनावेदक की भूमि पर नहीं है। पटवारी ने भी रिपोर्ट किया कि अनावेदक की भूमि पर से अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जा हटा लिया तथा भूमिस्वामी को कब्जा सौंप दिया। अब कब्जे का कोई विवाद नहीं है। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 22–5–2015 के द्वारा उभय पक्ष की उपस्थिति में पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक लक्ष्मीनारायण द्वारा कब्जा वापस प्राप्त कर लेने और कोई विवाद नहीं होने से प्रकरण निरस्त कर दिया है। चूंकि वर्तमान में निगरानी प्रस्तुत करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय में ही विवाद का निराकरण हो चुका है, अतः आवेदक अभिभाषक के इस तर्क को स्वीकार करने का औचित्य नहीं है कि पटवारी स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं दिया। उपरोक्त परिस्थितियों में यह निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर